न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः 18/2024

प्रार्थीगण

चतराराम पुत्र श्री सकारामजी, जाति–मीणा, निवासी–केसरपूरा, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. संरपच, ग्राम पंचायत, केसरपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत केसरपूरा, तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही
3. रामलाल पुत्र भेराराम जी मीणा, जाति–मीणा, निवासी– केसरपूरा, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 2(क) सिविल प्रक्रिया संहिता"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री महेश शर्मा, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या–3 (तीन) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 20 दिसम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र, इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अनवान के स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 34/2022 अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में पारित आदेश दिनांक 10.6.2022 की अवमानना कार्यवाही हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–3 (तीन) की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 3 (तीन) की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने बहस के दौरान प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 को निरस्त कराने हेतु एक पंचायत निगरानी आवेदन धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसके पंचायत निगरानी संख्या 24/2022 है। प्रार्थी द्वारा उक्त पंचायत निगरानी आवेदन के साथ एक आवेदन अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम का भी अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जो स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 34/2022 पर दर्ज किया गया है जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में दिनांक 10.06.2022 को इस न्यायालय ने आदेश पारित कर प्रश्नगत पट्टा संख्या 24 के सम्बन्ध में दोनो पक्षकारान को मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है, तथा अप्रार्थीगण को उपस्थिति हेतु प्रेषित नोटिस के साथ यथास्थिति बनाए रखने के आदेश की तहरीर दस्ती जारी की गई। इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त यथास्थिति का आदेश आज भी प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 3 को उक्त निगरानी आवेदन के नोटिस प्राप्त हुए एवं दिनांक 24.6.2022 को अप्रार्थी संख्या 3 ने इस न्यायालय के समक्ष असालतन उपस्थिति दर्ज करवायी। अप्रार्थी संख्या– 1(एक)

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

को उक्त निगरानी के नोटिस प्राप्त होने के बावजूद इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं की गई तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 को शह देकर निर्माण कार्य नही रूकवाया और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध में अमल में लाई। अप्रार्थी संख्या 3 को इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश की पूर्ण जानकारी होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रश्नगत पट्टा संख्या 24 की भूमि पर दिनांक 22.6.2023 को निर्माण कार्य प्रारम्भ किया एवं भू खण्ड पर निर्मित कमरा एवं मकान का प्लास्टर व छत का कार्य करवाने लगा। दिनांक 24.7.2023 को जेसेबी द्वारा विवादित भूमि पर नीवं की खुदाई कर नये सिरे से मकान का काम प्रारम्भ किया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 ने इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के उक्त आदेश की जानबूझकर मखौल उडाते हुए प्रश्नगत भू खण्ड पर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में परिर्वतन किया है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा किये जा रहे उक्त कृत्य की शिकायत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को की, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा आपसी मेलमिलाप कर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को नही रूकवाया, अपितु अप्रार्थी संख्या 3 को शह देकर न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश की जानबूझकर मखौल उडाते हुए प्रश्नगत भू खण्ड पर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में परिर्वतन करवाते रहे तथा प्रार्थी की शिकायत पर कोई ध्यान नही दिया तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण यह कह कर मजाक बनाते रहे कि हम ऐसे न्यायालय आदेश को नही मानते तुम इस आदेश की तस्वीर बना कर अपने मकान में टांग कर पूजा करो तथा अप्रार्थी रामलाल को निर्माण कार्य करने से न तो हम रोकेंगे व न ही रामलाल के निर्माण में कोई हस्तक्षेप ही होने देगे। अप्रार्थी संख्या—1 (एक) की शह पर अप्रार्थी संख्या 3 ने निर्माण कार्य को नही रोका एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन करता रहा। अप्रार्थीगण द्वारा लगातार यथास्थिति के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा निर्माण कार्य नही रूकने पर प्रार्थी ने दिनांक 26.7.2023 को जिला कलेक्टर, सिरोही एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरोही को लिखित शिकायत प्रस्तुत की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शिकायत पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही द्वारा संज्ञान लेकर प्रश्नगत सम्पत्ति एवं न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही से जांच करवायी, जिसकी जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की शह व मदद से स्थगन आदेश के अस्तित्व व प्रभाव में रहते एवं जानकारी में होते हुए भी प्रश्नगत पट्टा संख्या 24 की भूमि पर निर्माण कार्य करवा कर मौके की स्थिति में परिर्वतन किये जाने का तथ्य साबित होता है। इस प्रकार, अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य इस न्यायालय के आदेश की अवमानना की परिभाषा में आता है तथा अप्रार्थीगण इस न्यायालय के उक्त आदेश की अवहेलना करने के दोषी है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1(एक) की शह पर अप्रार्थी संख्या 3 न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश की जानबूझकर मखौल उडाते हुए प्रश्नगत भू खण्ड पर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में परिर्वतन करवाते रहे तथा प्रार्थी की शिकायत पर कोई ध्यान नही दी। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1(एक) को शिकायत करने पर अप्रार्थी संख्या 1(एक) प्रार्थी की शिकायत को न तो लेता है और न ही उसकी रसीद देता है तथा प्रार्थी को धमका था कि तेरे जहां भी जाना है जा, काम तो में करवाके रहूंगा तथा अप्रार्थी संख्या 1(एक) की शह पर अप्रार्थी संख्या 3 ने बावजूद यथास्थिति के आदेश की जानकारी के प्रश्नगत भूखण्ड़ के मौके की स्थिति में परिर्वतन कर निर्माण कार्य करवाता रहा एवं जानबूझ कर अवहेलना करता रहा। यह कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृत्य करके प्रार्थी व जन सामान्य का न्यायिक प्रणाली के विरूद्ध आदर कमी कारीत की है जिसके लिए अप्रार्थीगण न्यायालय की अवमानना के दोषी है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2015(3) DNJRaj. Page 934 Saroj vs Radhe Shayan Gupta में

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि मुद्दा पक्षकारान के मध्य इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 10.6.2022 की अवहेलना का है एवं इस न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 10.6.2022 का उल्लंघन होने से प्रार्थी स्वयं को व्यथित महसूस कर रहा है। न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा के आदेश या अन्तरिम आदेश का उल्लंघन या अवज्ञा करने या उस आदेश में अंकित शर्तो का उल्लंघन या अवज्ञा करने पर संबंधित न्यायालय उस आदेश की अवज्ञा करने वाले की सम्पति को कुर्क करने एवं उसे 3 माह के सिविल कारावास की हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है तथा सम्पति की कुर्की की अवधि एक वर्ष अधिक समय तक लागू नही रहेगी तथा यदि आदेश उल्लंघन जारी रहता है तो न्यायालय उस सम्पति को बेच सकता है और पीडीत को उचित मुआवजा भी दिलवा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को इस न्यायालय के आदेश की अवमानना का दोषी घोषित किया जाकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने एवं अप्रार्थीगण की चल अचल सम्पति को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–3 (रामलाल) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की गई है तथा न ही कोई निर्माण किया गया है तथा न ही उपरोक्त भूखण्ड पर मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 की शह पर कोई निर्माण कार्य किया ही नहीं है तथा न ही मौके की स्थिति में परिवर्तन किया। प्रार्थी ने केवल हैरान परेशान करने मात्र के उद्देश्य से अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी संख्या 3 ने इस न्यायालय के उक्त आदेश की अवहेलना की हो, अपितु अप्रार्थी संख्या 3 मौके की स्थिति के अनुरूप ही बैठा है तथा अन्तरिम स्थगन आदेश जारी होने से पूर्व में मौके पर जो स्थिति थी वो ही स्थिति मौके पर है, मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया गया हैं और न ही इस न्यायालय के आदेश की कोई अवहेलना की है। प्रार्थी के अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के साथ रंजिश हो जिसका अप्रार्थी संख्या 3 को कोई ध्यान नहीं है जो प्रार्थी स्वयं अपने दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। अप्रार्थी संख्या 3 ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.6.2022 की अवहेलना नही की है एवं न्यायालय की गरीमा को बनाए रखा है। यह कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 3 से शत्रूता रखने के कारण तथा प्रार्थी के भाई ग्राम विकास अधिकारी नाथुलाल के सिखावट में आकर बार–बार परेशान किया जा रहा है। प्रार्थी का भाई श्री नाथूलाल ग्राम विकास अधिकारी होने से उसने मेल मिलाप कर अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध मनगंढत तथ्यों के आधार पर शिकायत करवाकर जिला परिषद् के सहायक विकास अधिकारी से कोई जांच रिपोर्ट तैयार करवाई हो, इसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 3 को नही है, जिससे उक्त तथाकथित जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 को न्यायालय आदेश की अवहेलना का दोषी नही ठहराया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित करने से पहले मौके की न तो कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है तथा न ही ऐसी कोई कमिश्नर रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त अन्तरिम आदेश अप्रार्थी संख्या 3 को तामिल होने के बाद अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन किया गया हो। यह कि प्रार्थी चतराराम के पिता सका पुत्र वेलाजी मीणा एवं अप्रार्थी संख्या 3 रामलाल के मध्य दिनांक 20.01.2008 को आपसी राजीनामा लिखत निष्पादित किया गया था, जिसमें प्रार्थी के पिता सकाराम व अप्रार्थी संख्या 3 के भूखण्ड़ों के मध्य बाड का विवाद होने से आपसी सहमति से दोनों पक्षों ने दोनों पक्षों के भूखण्ड़ों के बीच में स्थित बाड के स्थान पर 5 फीट उंचाई तक निर्माण कार्य करने की सहमति दी थी उसी अनुरुप

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थी द्वारा उसके भूखण्ड़ में व अप्रार्थी संख्या 3 रामलाल द्वारा स्वयं के भूखण्ड में दिवार का निर्माण किया था तथा दोनों पक्षों के भूखण्ड़ों के मध्य में दोनों पक्षों ने दीवार का निर्माण किया था जिसके फोटोग्राफस व उक्त आपसी सहमति राजीनामा लिखत की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश जारी होने से पहले ही निर्माण कार्य कर दिया था उसके बावजूद भी प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 जो वृद्ध व्यक्ति है उसे परेशान करने की नियत से अपने भाई नाथू लाल, ग्राम विकास अधिकारी की सिखावट में आकर गलत व मनगंढत कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(3) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी चतराराम पुत्र सकाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी रामलाल पुत्र भेराराम जी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत एक निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके पंचायत निगरानी संख्या 24/2022 है। प्रार्थी चतराराम द्वारा उक्त निगरानी आवेदन के साथ साथ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(2) के तहत एक प्रार्थना पत्र भी अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था, जिसके स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 34/2022 है। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 34/2022 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश निांक 10.6.2022 के द्वारा अप्रार्थीगण को ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी रामलाल पुत्र भेराराम जी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 से संबंधित भूमि के मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखने के आदेश दिये गये थे। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 34/2022 इस न्यायालय में अभी लम्बित है।

इस संबंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध न्यायालय आदेश की अवमानना की कार्यवाही हेतु यह प्रार्थना पत्र मुख्यतः इन कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि ''उक्त स्थगन आदेश के जारी होने के बाद निगरानी व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस व स्थगन आदेश की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी रामलाल ने उक्त आदेश दिनांक 10.6.2022 के प्रभाव व अस्तित्व में रहते हुए सरपंच, ग्राम पंचायत, केसरपुरा की शह पर मौके पर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में परिवर्तन किया है एवं न्यायालय आदेश की पालना नही करके न्यायालय आदेश की अवहेलना व अवमाना की है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है।'' जबकि अप्रार्थी रामलाल का यह कथन है कि ''अप्रार्थी रामलाल द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की गई है तथा न ही स्थगन आदेश जारी होने के बाद कोई निर्माण किया गया है तथा न ही उपरोक्त भूखण्ड पर मौके की स्थिति को कोई परिवर्तन किया गया है।'' अप्रार्थी रामलाल का यह भी तर्क है कि ''प्रार्थी चतराराम के पिता सका पुत्र वेलाजी मीणा एवं अप्रार्थी रामलाल के मध्य दिनांक 20.01.2008 को आपसी राजीनामा लिखत निष्पादित किया गया था, जिसमें सकाराम व रामलाल के भूखण्ड़ों के मध्य बाड का विवाद होने से आपसी सहमति से दोनों पक्षों ने इन भूखण्ड़ों के बीच में स्थित बाड के स्थान पर 5 फीट उंचाई तक निर्माण कार्य करने की सहमति दी थी उसी अनुरुप प्रार्थी द्वारा उसके भूखण्ड़ में व अप्रार्थी रामलाल द्वारा स्वयं के भूखण्ड़ में दिवार का निर्माण किया था।''

प्रकरण में प्रार्थी चतराराम द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही का जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.9.2023 (जो सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिरोही को उनके पत्र क्रमांकःजिपसि/पंचायत/जांच/

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

2023 / 1658 दिनांक 03.8.2023 के अनुसरण में प्रेषित किया है) में सारांश में अंकित किया है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही में विचाधीन प्रकरण संख्या 34 / 2022 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 10.6.2022 के उपरान्त विवादित भूमि पर रामलाल द्वारा अपनी भूमि के पूर्व दिशा में परकोटा निर्माण, दक्षिण दिशा में परकोटा निर्माण व कमरा निर्माण एवं पूर्व दिशा में निर्मित कमरे का प्लास्टर किया जाना मौके पर पाया गया। जबकि अप्रार्थी रामलाल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी चतराराम के पिता सका पुत्र वेलाजी मीणा एवं अप्रार्थी रामलाल के मध्य दिनांक 20.01.2008 को निष्पादित राजीनामा लिखत में सकाराम व अप्रार्थी रामलाल के भूखण्डों के मध्य बाड का विवाद होने से आपसी सहमति से दोनों पक्षों ने भूखण्डों के बीच में स्थित बाड के स्थान पर 5 फीट उंचाई तक निर्माण कार्य करने की सहमति दी थी।

चूंकि इस न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 34 / 2022 में दिनांक 10.6.2022 को उक्त पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 की भूमि के मौके की यथास्थित बनाये रखने के आदेश जारी होने से पहले भूखण्ड के मौके की स्थिति क्या थी? इसकी रिपोर्ट न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नही है तथा न ही ऐसी कोई कमिश्नर रिपोर्ट प्रार्थी पक्ष द्वारा इस न्यायालय के माध्यम से तलब करवाई है। यदि अप्रार्थी रामलाल द्वारा इस न्यायालय से उक्त पट्टे की भूमि मौके की यथस्थिति के आदेश दिनांक 10.6.2022 को जारी होने के बाद निर्माण कार्य करवाया जा रहा था तो तत्समय ही प्रार्थी चतराराम द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये था, लेकिन प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.3.2024 को प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण में यह तथ्य पूर्णतया साबित नही होता है कि उक्त स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी अप्रार्थी रामलाल द्वारा मौके पर निर्माण कार्य जारी कर मौके की स्थिति में परिवर्तन किया हो, परन्तु सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 11.9.2023 के अनुसार पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 की भूमि के मौके की स्थिति में इस न्यायालय से मौके की यथास्थिति का आदेश जारी होने के बाद अप्रार्थी रामलाल द्वारा निर्माण कार्य करवाया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अर्न्तगत आदेश 39 नियम 2(क) सिविल प्रक्रिया संहिता को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थी रामलाल पुत्र भेराराम जी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा के पक्ष में ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 की भूमि के मौके की जब तक स्थगन आदेश प्रभाव में है तब तक यथास्थिति बनाये रखे एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन नही करे। साथ ही, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी रामलाल पुत्र भेराराम जी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 के भूमि की मौके की जांच करे तथा इस न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 34 / 2022 में उक्त पट्टे की भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 10.6.2022 को जारी होने के बावजूद भी उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है अथवा निर्माण कार्य करके मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.6.2022 की अवहेलना व अवमानना की गई है तो अप्रार्थीगण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते